न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/95/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दयाराम यादव पुत्र श्री सेढूराम, निवासी–ग्राम–तलवाड, पो. जागुवास, तहसील–बहरोड (अलवर)(राज.)–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 30.10.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.11.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.09.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 24.07.19 को प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 04.09.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 24.10.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/1573–75 दिनांकः 20.11.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः लोक सूचना/2019/1573–75 दिनांकः 20.11.19 के माध्यम से प्रेषित जवाब नोटिस में अवगत कराया है कि"अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 04.09.19 के संबंध में पत्रांकः 1429–30 दिनांकः 11.10.19 के द्वारा निर्णय कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

तहसीलदार बहरोड को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना निःशुल्क ही उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।'' इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 04.09.19 को अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत अनुरोध–पत्र नहीं मानकर प्रथम अपील–पत्र के रूप में कार्यवाही की है जो उक्त अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की कठोर, प्रभावी अनुपालना के प्रति लोक सूचना अधिकारी की उदासीनता, लापरवाही का द्योतक है एवं भारी विधिक त्रुटि का प्रतीक है।

10. प्रत्यर्थी को चाहिए था कि यदि आवेदन दिनांकः 04.09.19 में वांछित सूचना तहसीलदार बहरोड से संबंधित है तो अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के आलोक में आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 05 दिवस में मूल प्रा0पत्र तहसीलदार बहरोड को अन्तरित करते लेकिन विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाकर प्रथम अपील मानकर सुनवाई किया जाना उचित नहीं है।

11. उक्त आलोक में उक्तांकित प्रथम अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपील प्रा0पत्र दिनांकः 24.10.19 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांकः 04.09.19 में वांछित कार्यवाही बाबत अद्यतन सम्पूर्ण सूचना तहसीलदार बहरोड से प्राप्त कर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में स्वयं मय अधीनस्थ कार्मिकों के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रति सतर्क रहकर आवेदनों के निष्पादन की कार्यवाही करें।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)